बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

119th FOUNDATION YEAR LEADING WITH TRUST

BCC:ISD:118:16:602 Date: 23.11.2026

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 **BSE CODE : 532134**	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 **NSE CODE : BANKBARODA**

Madam/Dear Sir,

Re : Bank of Baroda – Notice of Extraordinary General Meeting

We refer to our letter no. BCC:ISD:118:16:565 dated 30th October 2026 and advise that Extraordinary General Meeting of the shareholders of our Bank has been scheduled as per details given below:

1	Date/ Time	Monday, 21st December 2026 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
2	Agenda/ Business	1. Election of One Shareholder Director amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 2. To consider and approve re-appointment of Shri Lal Singh as an Executive Director of the Bank. 3. To consider and approve appointment of Shri Hari Har Mishra, as an Non Executive Director of the Bank.
3	Specified / Cut-off date	**For agenda Item Number – 1:** 20th November 2026 – To nominate, contest and vote at the meeting. **For agenda Item Number – 2 & 3:** 14th December 2026 - For attendance at the Meeting and voting.
4	Remote E-Voting	From 9.00 a.m. on 17th December 2026 to 5.00 p.m. on 20th December 2026.
5	Last date for submission of nominations	05th December 2026 upto 4.00 p.m.

We also annex a copy of EGM Notice for further details.

We request you to take notice under applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,
S BALA KUMAR
Digitally signed by S BALA KUMAR
Date: 2026.11.23 10:44:33 +05'30'

S Balakumar
Company Secretary

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के लिए नोटिस
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /
अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से
through Video Conferencing/
Other Audio Visual Means (VC / OAVM)

सोमवार, 21 दिसंबर, 2026
MONDAY, 21ST DECEMBER, 2026

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

निवेशक सेवाएं विभाग
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
ईमेल: investorservices@bankofbaroda.bank.in

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT
Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
E-Mail: investorservices@bankofbaroda.bank.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विषय / CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस / NOTICE	03
नोट / NOTES	05
नामांकन फॉर्म / NOMINATION FORM	44/45
घोषणा/ DECLARATION	46/48
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन-पत्र / DECLARATION AND UNDERTAKING BY A PROPOSED DIRECTOR	50/56

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा - 390 007
कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
(वेबसाइट: www.bankofbaroda.bank.in

Bank of Baroda
Head Office: Alkapuri, Baroda – 390007
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051
Website: www.bankofbaroda.bank.in

नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) का आयोजन **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ ओएवीएम) से सोमवार, दिनांक 21 दिसंबर, 2026 को प्रात: 11.00 बजे** किया जाएगा:

मद संख्या 1:

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक को निर्वाचित करने के लिए, जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे '' बैंकिंग विनियमन अधिनियम'' कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख ''योजना'' के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख ''विनियमन'' के रूप में किया गया है) यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं, 2015, इसके बाद इसका उल्लेख सूचीबद्धता विनियम के साथ में किया गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- शासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर 2025 (इसका उल्लेख ''भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश'' के रूप में किया गया है तथा इसमें आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) एवं निम्नलिखित संकल्प पारित करना :-

ए) ''यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसरण में, जिन्हें केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है, उन्हें एतद्द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और इनके द्वारा घोषणा के तत्काल बाद की तारीख 24 दिसंबर, 2026 से कार्यभार ग्रहण किया जाएगा और ये 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी अर्थात् 23 दिसंबर, 2029 तक, पद पर बने रहेंगे।''

उपरोक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत भी पारित माना जाएगा।

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Monday, 21st December, 2026 at 11.00 a.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM)**, to transact the following business:

Item Number 1:

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred as "Banking Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and Reserve Bank of India (Commercial Banks- Governance) Directions, 2025 dated 28th November 2025 (hereinafter referred to as "RBI Master Directions" and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

a) "RESOLVED THAT One Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, the Regulations made thereunder, RBI Master Directions, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from 24th December 2026 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption till 23rd December 2029".

The aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

मद संख्या 2:

श्री लाल सिंह को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन:

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना:-

''यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 (3) (ए) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के पैरा 8 (1) के साथ पठित, के अनुसार बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री लाल सिंह की पुनर्नियुक्ति, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संदर्भ संख्या ईएफ संख्या 4/1 (i) 2025-बीओआई दिनांक 23 सितंबर, 2026 को उनके अधिसूचित कार्यकाल जोकि 08.10.2026 को समाप्त हो गया है, से आगे बढ़ाकर, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, अर्थात् 31.01.2027 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बढ़ा दिया है और इसे एतद्द्वारा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 3:

श्री हरि हर मिश्रा की बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन:

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना:-

''यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 (3) (बी) के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में गैर - कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री हरि हर मिश्रा को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.नं.6/2/2022-बीओ.आई/1 दिनांक 23 अक्तूबर, 2026 द्वारा तत्काल प्रभाव से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है और इसे एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.11.2026

(डॉ. देबदत्त चांद)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Item Number 2:

To approve reappointment of Shri Lal Singh as Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the reappointment of Shri Lal Singh, as Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8(1) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) scheme 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide Notification Ref No. eF. No 4/1 (i)2025-BO.I dated 23rd September 2026, extended the tenure beyond his notified term which had ended on 08.10.2026, till the date of his superannuation, i.e 31.01.2027 or until further orders whichever is earlier be and is hereby approved."

Item Number 3:

To approve appointment of Shri Hari Har Mishra as Non-Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Hari Har Mishra, as Non Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref No. eF. No.6/2/2022-BO.I/1 dated 23rd October 2026, issued by Government of India, with immediate effect and until further order, whichever is earlier be and is hereby approved."

By Order of Board of Directors
For BANK OF BARODA

Place: Mumbai
Date: 06.11.2026

Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

नोट:

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम):**

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अपने पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ दिनांक 22 सितंबर, 2025 को जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से कंपनियों/सूचीबद्ध संस्थाओं को एमसीए परिपत्रों में प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के अनुसार अगले आदेश तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से तक अपनी असाधारण आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है।
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से किया जा रहा है। ईजीएम के आयोजन का स्थान वडोदरा स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय माना जाएगा।

3. **प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:**

चूंकि यह बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रही है, इस ईजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे Ratan.babu@kfintech.com/Balajireddy.s@kfintech.com/companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 16 दिसंबर, 2026 को सायं 4.00 बजे तक दिया अथवा इससे पहले नहीं भेज दिया जाता है।

बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक का अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. **ईजीएम में प्रतिभागिता**

बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को असाधारण आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा ईजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है।

NOTES:

1. **Explanatory Statement:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars dated 22nd September 2025 read with its preceding circulars issued from time to time permitted the companies/listed entities, to conduct general meeting through VC or OAVM until further orders, in accordance with the framework provided in the MCA circulars
- In compliance with the above guidelines, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.

3. **Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

As the Meeting is being held through VC/OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this EGM.

However, no person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to Ratan.babu@kfintech.com/Balajireddy.s@kfintech.com/companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on Wednesday, 16th December 2026.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorized Representative of a shareholder.

4. **EGM Participation**

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL), to provide Video Conferencing facility for the EGM and the attendant enablers for conducting of the Meeting.

वीसी/ ओएवीएम के संबंध में ईजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

ए) शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सी) कॉर्पोरेट्स निकाय वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 30 मिनट पहले ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ईजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- ईजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर अपलोड किया जा रहा है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईजीएम से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के द्वारा ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए उपर्युक्त चरणों का पालन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने

Pursuant to the provisions of the circulars of EGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC/ OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Shareholders can join the EGM -30-minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in this Notice. Upto 1,000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the EGM.
- There will be no restrictions on account of FIFO entry into EGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the EGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the EGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.bank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

1. Member will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by

''Join General Meeting'' मेनू के अंतर्गत ''VC/OAVM Link'' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join General Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM Link पर क्लिक करें। VC/OAVM का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने की सुविधा ईजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।

3. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने हेतु कैमरे की अनुमति के साथ अच्छी स्पीड में इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

5. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े प्रतिभागियों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अत: उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्सन का उपयोग करें।

6. ईजीएम से पहले/ उस दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 48867000 पर कॉल कर सकते हैं।

7. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

6 कट ऑफ तारीख

बैंक ने निम्नलिखित कट-ऑफ तारीख निर्धारित किया है:-

कार्यसूची मद संख्या - 1 के लिए

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के निर्वाचन हेतु अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने** में

following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/ Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Facility of joining the EGM through VC/OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for EGM and will be available for Members on first come first served basis.

3. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

4. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

5. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Members facing any technical issue in login before / during the EGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 – 48867000

7. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

6. Specified/Cut-Off Date:

The Bank has fixed the following Specified / Cut-off date:

For agenda Item Number – 1:

Friday, 20th November, 2026 for determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election

भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से **शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026 निर्धारित है।**

कार्यसूची मद संख्या -2 एवं 3 के लिए

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान के लिए **सोमवार, 14 दिसंबर, 2026** निर्धारित है।

7. **मतदान का अधिकार:**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार को छोड़ तदनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन,1998, के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जाये। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही असाधारण आम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

8. **दूरस्थ ई-वोटिंग**

सेबी के (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए) बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉज़िटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) को दूरस्थ ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

बी) दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु प्लेटफॉर्म गुरुवार, 17 दिसंबर, 2026 को सुबह 9.00 बजे से रविवार, 20 दिसंबर, 2026 को शाम 5 बजे तक (दोनों दिन सहित) पूरे समय खुला रहेगा।

सी) **दूरस्थ ई-वोटिंग**

कार्यसूची मद संख्या - 1 के लिए:

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन करने, चुनाव लड़ने और

of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

For agenda Item Number -2 & 3

Monday, 14th December, 2026, for attendance at the meeting and e-voting.

7. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the EGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the EGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

8. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **National Securities Depository Limited (NSDL) as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) The platform will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Thursday 17th December 2026 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Sunday, 20th December 2026 (both days inclusive).

c) **Remote e-voting**.

For agenda Item Number – 1:

Friday, 20th November, 2026 for determining the list of Shareholders entitled to participate in

वोट देने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची निर्धारित करने के लिए **शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026** की तिथि निर्धारित की गई है।

कार्यसूची मद संख्या -2 एवं 3 के लिए

बैठक में उपस्थिति और ई-वोटिंग के लिए **सोमवार, 14 दिसंबर, 2026**

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का एक्सेस

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक।	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए लिंक https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक करें। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कृपया कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (NSDL)** पर क्लिक करें। इसके बाद आपको NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेकर अपना वोट डाल सकते हैं।

the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

For agenda Item Number -2 & 3

Monday, 14th December, 2026, for attendance at the meeting and e-voting.

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. **For OTP based login you can click on** https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	2. **IDeAS** के मौजूदा उपयोगकर्ता NSDL की ई-सर्विसेज वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर '**IDeAS**' सेक्शन में **'लॉगिन'** के अधीन मौजूद **'बेनिफिशियल ओनर'** आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं दिखाई देंगी। ई-वोटिंग सेवाओं में ''ई-वोटिंग हेतु एक्सेस'' पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग के समय वोट डालने या वर्चुअल बैठक में भाग लेकर मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। 3. यदि आप IDeAS ई-सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर दिया गया है। ''**Register Online for IDeAS Portal**'' चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "Login" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन

Type of shareholders	Login Method
	2. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner**" icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 5. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए निम्नानुसार क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **''एनएसडीएल स्पीड''** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद बिना किसी सत्यापन के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन तथा नए सिस्टम मायईजी टैब पर क्लिक करें और अपने मौजूदा मायईजी उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी

Type of shareholders	Login Method
	as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं मतदान में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन एवं न्यू सिस्टम मायईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान करेगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होंगे।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम

Type of shareholders	Login Method
	clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या सीडीएसएल हेल्पडेस्क या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रक्रिया।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन ''लॉगिन'' पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को दर्ज करना होगा

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ https://

Type of shareholders	Login Method
	Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. **Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL:** https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.

eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण -2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपकी यूजर आईडी है:**
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 वर्ण की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है, तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपकी यूजरआईडी 12********** है।
सी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुन: प्राप्त करना होगा जो आपको संप्रेषित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुन: प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाता में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर संप्रेषित किया जाता है।

com/ with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the

अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल को खोलें और संलग्नक यानी .pdf फाइल को खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है और सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, प्रक्रिया** में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

6. यदि आप ''प्रारंभिक पासवर्ड'' पुन: प्राप्त करने में असमर्थ हैं या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

ए) ''यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए?'' पर क्लिक करें (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर है) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

बी) भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड?'' (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर है) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए ईमेल evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स में ''नियम और शर्तों'' का चयन करके सहमत हूं पर टिक करें।

8. अब, आपको ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर असाधारण आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर असाधारण आम बैठक में कैसे शामिल हों।

1. चरण - 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात, आपको वे सभी कंपनियाँ "EVEN" प्रदर्शित होंगी जिनमें आपके शेयर हैं और जिनकी वोटिंग प्रक्रिया और सामान्य बैठक एक्टिव स्थिति में है।

email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) **Click on** "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join Extraordinary General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join Extraordinary General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. उस कंपनी के ''EVEN'' का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और असाधारण आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको ''Join General Meeting'' के तहत ''VC/OAVM'' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और ''सबमिट'' पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर ''पुष्टि करें'' पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि करने पर, ''वोट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ'' संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके भी अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

7. एक बार संकल्प पर आपके द्वारा पुष्टि किए जाने पर, आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल द्वारा और एक प्रति evoting@nsdl.com पर संवीक्षक को मार्क करके प्रेषित करनी होगी।

2. यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉ गिन डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए ''उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?'' या ''भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?'' विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

3. किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते है ।

2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the Extraordinary General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) Ratan.babu@kfintech.com/Balajireddy.s@kfintech.com पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक की DPID + CLID या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) Ratan.babu@kfintech.com/Balajireddy.s@kfintech.com पर प्रेषित करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि **चरण 1 (ए)** अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन प्रक्रिया और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए बताई गई लॉगिन प्रक्रिया देखें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग संबंधी सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ मेनटेंड अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

ईजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Ratan.babu@kfintech.com/Balajireddy.s@kfintech.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Ratan.babu@kfintech.com/Balajireddy.s@kfintech.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।

5. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के द्वारा ईजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के एक्सेस हेतु उपर्युक्त चरणों का पालन करके इस सुविधा को एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने **"Join meeting"** मेनू के अंतर्गत ''VC/ OAVM link'' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आम बैठक में शामिल हों मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की सुविधा के उपयोग को अनुमति देनी होगी और अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से जुड़ेने वाले सदस्यों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो में व्यवधान का अनुभव हो सकता है। अत: किसी भी प्रकार की उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

9. ईजीएम के लिए वोटिंग प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा असाधारण आम बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ईजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.

5. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Members will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

9. VOTING PROCESS AT THE EGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the EGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the EGM on the date of the meeting.

10. दूरस्थ ई-वोटिंग में संवीक्षक/ बैठक में मतदान

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में दूरस्थ ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान का परिणाम

दूरस्थ ई-वोटिंग तथा असाधारण आम बैठक में मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश:

ए) नोटिस/ सूचना भेजने के लिए बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत पते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके पते संबंधी विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए। बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से पते संबंधी विवरण में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है।

बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही पंजीकृत करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ नहीं।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ क्लाएंट आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

10. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items to be considered at the meeting.

11. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

12. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updates immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change of address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन और केवाईसी विवरण प्रस्तुत करना

सेबी ने 06 फरवरी, 2026 के मास्टर परिपत्र संख्या HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, आरटीए द्वारा निवेशकों के अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए तथा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन करने से संबंधित सामान्य और सरल नियमों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र के पैरा 20.1 के अनुसार, भौतिक सिक्योरिटीज रखने वाले सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, संपर्क विवरण (पिन कोड के साथ डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाते का विवरण और अपने हस्ताक्षर का नमूना उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में, पैरा 20.2 में उन फोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभांश आदि के भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिनमें पैन और केवाईसी विवरण मौजूद नहीं हैं। यह प्रक्रिया निम्नानुसार है:

जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे:

ए) केवल पैन और केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए के पास शिकायत दर्ज कराने या किसी सेवा का अनुरोध करने के लिए

बी) 01 अप्रैल 2024 से ऐसे फोलियो से संबंधित लाभांश, ब्याज या रिडेम्पशन सहित सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे। सूचीबद्ध कंपनी की ओर से प्रतिभूति-धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि भुगतान बकाया है और इस मास्टर परिपत्र के पैरा 20.1 की शर्तों को पूरा करने पर ही यह भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

उपर्युक्त के संदर्भ में, यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं, तो निर्बाध सेवा का लाभ उठाने के लिए कृपया अपना वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन हस्ताक्षर का नमूना निर्धारित प्रपत्रों में (जो बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर उपलब्ध है) तुरंत बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करें, यदि आपने पहले ऐसा नहीं किया है।

14. शेयरधारकों हेतु संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

13. FURNISHING OF PAN, AND KYC DETAILS BY HOLDERS OF PHYSICAL SECURITIES

SEBI vide its Master Circular No. HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 dated 06th February,2026 has issued inter alia, guidelines on Common and Simplified Norms for processing investors request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Para 20.1 of the Master Circular mandates all the holders of physical securities to furnish PAN, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. In continuation of the same, Para 20.2 lays down the procedure for availing services and payment of dividend etc., in the folios without PAN and KYC details which reads as under:

The security holder(s) whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated, shall be eligible:

a) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN and KYC details.

b) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the securityholder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in Para 20.1 of this Master Circular.

In view of the above, if you are holding shares in physical form you are required to furnish valid PAN, Contact Details, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available in the Banks website: www. bankofbaroda.bank.in), if not already done, to avail uninterrupted service requests.

14. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

केफिन टेक्नोलॉजी लि.,	बैंक ऑफ़ बड़ौदा
यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032. दिनांक 01 दिसंबर 2026 से मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (बैंक के आरटीए) का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित स्थान पर होगा **मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड** 6,23,24,25वां तल, साउथ टॉवर, राजपुष्पा वेस्ट एवेन्यू सर्वे संख्या 115, कोकापेट, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगा रेड्डी तेलंगाना - 500 075 ई-मेल : einward.ris@kfintech.com **टोल फ्री/फोन नंबर :** 1800 309 4001 **व्हाट्सऐप नंबर :** (91) 910 009 4099 **केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन):** https://kprism.kfintech.com/ **केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट:** https://www.kfintech.com **आरटीए वेबसाइट:** https://ris.kfintech.com **निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक):** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	निवेशक सेवाएं विभाग, 7वीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051 **टेलीफोन:** 022 - 6698 5731 / 5743 **सामान्य नंबर:** 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) **ई-मेल:** investorservices@bankofbaroda.bank.in **बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का कॉर्नर सेक्शन** https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/

15. भौतिक शेयरों का डीमैटरलाइजेशन- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न हों। अत: हम

KFin Technologies Ltd.,	Bank of Baroda
Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. With effect from 01st December 2026 Corporate Office of M/s KFin Technologies Limited (RTA of the Bank) will be as follows **M/s KFin Technologies Limited,** 6,23,24,25th Floor, South Tower, Rajapushpa West Avenue survey No. 115 , Kokapet, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District. Telangana - 500075 **Email :** einward.ris@kfintech.com **Toll Free/ Phone Number :** 1800 309 4001 **WhatsApp Number :** (91) 910 009 4099 **KPRISM (Mobile Application):** https://kprism.kfintech.com/ **KFINTECH Corporate Website:** https://www.kfintech.com **RTA Website :** https://ris.kfintech.com **Investor Support Centre (DIY Link):** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 **Tel:** 022 - 6698 5731 / 5743 **General Number :** 022 – 6698 5000-04 (PBX) **E-Mail:**investorservices@bankofbaroda.bank.in **Shareholder's corner section on Bank's Website** https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in

शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें।

2. समय समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए सभी अनुरोधों, जिनमें ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन के अनुरोध भी शामिल हैं, को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में ही प्रोसेस किया जाएगा। तदनुसार, डीमटेरियलाइजेशन के लाभ प्राप्त करने और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने भौतिक शेयरों को डीमटेरियलाइज करवाएं। इस संबंध में सहायता के लिए शेयरधारक बैंक के निवेशक सेवा विभाग या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से डिमटेरियलाइज करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;

ii. शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;

iii. डीमैट होने से शेयरों की कागज रहित ट्रेडिंग की आसान सुविधा मिलती है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

16. भौतिक रूप में शेयरों के डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

ए. <u>उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:</u>

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के पश्चात् शेयरधारक(कों) को डीपी को विधिवत रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म

dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

2. In terms of Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, all the requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. Accordingly, with a view to avail the benefits of dematerialization and to eliminate all risks associated with physical shares, Shareholders are requested to dematerialize their shares held in physical form. Shareholders can contact the investor services department of the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

16. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. <u>For shareholder(s) who are not having a Demat account:</u>

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and

(डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) सरेंडर करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

बी. <u>पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:</u>

ऐसे शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह देखना होगा कि क्या मौजूदा डीमैट खाता उसी नाम (मों) एवं स्वरूप में है जैसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता है। यदि हां, तो शेयरधारकों को विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डीआरएफ मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ डीपी को प्रस्तुत करना होगा जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाता समान नाम पर नहीं है, तो शेयरधारक(कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो कृपया बिंदु संख्या 14 में उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजी लि. अथवा बैंक से संपर्क करें।

17. अदावाकृत लाभांश / शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन (''नियम'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सभी अदावाकृत लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी में हुए संशोधन के अनुसार, वे सभी इक्विटी शेयर, जिन पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या जिसका दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अनुपालन में बैंक को उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को

signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. <u>For shareholders already having a Demat account:</u>

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned in point no 14.

17. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further as per the amendment to section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, all the equity shares in respect of which dividend has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years or more shall also be transferred to IEPF. In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to

आईईपीएफ को अंतरित करना होगा जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का दावा नहीं किया है।

शेयरधारकों के अदावाकृत लाभांश का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/unpaid-dividend.

हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें।

कृपया नोट करें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में बैंक के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता।

18. आईईपीएफ को अंतरित/ अदावाकृत लाभांश शेयरों का दावा:

अदावाकृत लाभांश जो पहले ही अंतरित किया जा चुका हो या शेयर, जिन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया गया है, के संबंध में कृपया नोट करें कि आप वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

19. पिछले वर्षों का अदावाकृत/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारक यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित करें।

''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को

IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/unpaid-dividend.

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

18. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

19. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or

प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अंतरण की भविष्य की देय तिथियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1.	2019-2020	लागू नहीं
2.	2020-2021	लागू नहीं
3.	2021-2022	27 जुलाई 2029
4.	2022-2023	07 अगस्त 2030
5.	2023-2024	05 अगस्त 2031
6.	2024-2025	23 जुलाई 2032
7.	2025-2026	23 जुलाई 2033

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 के लिए अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	**निवेशक सेवाएं विभाग**
(यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं 1800 309 4001 दिनांक 01 दिसंबर 2026 से मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (बैंक के आरटीए) का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित स्थान पर होगा **मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड** 6,23,24,25वां तल, साउथ टॉवर, राजपुष्पा वेस्ट एवेन्यू सर्वे संख्या 115, कोकापेट, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगा रेड्डी तेलंगाना - 500 075	बैंक ऑफ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल: investorservices@bankofbaroda.bank.in

the Fund. The details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank
1	2019-2020	Not Applicable
2	2020-2021	Not Applicable
3	2021-2022	27th July 2029
4	2022-2023	07th August 2030
5	2023-2024	05th August 2031
6	2024-2025	23rd July 2032
7	2025-2026	23rd July 2033

The shareholders who have not encashed their dividends for the previous years, i.e from FY 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or Bank's Investor Services Department at Mumbai on the following address:

M/s KFin Technologies Ltd.	**Investors' Services Department**
(Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1-800-309-4001 With effect from 01st December 2026 Corporate Office of M/s KFin Technologies Limited (RTA of the Bank) will be as follows **M/s KFin Technologies Limited,** 6,23,24,25th Floor, South Tower, Rajapushpa West Avenue survey No. 115 , Kokapet, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District. Telangana - 500075	Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.bank.in

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1 :

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा निम्नलिखित तीन निदेशक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

i. श्रीमती नीना नागपाल(24.12.2023 से 23.12.2026 तक)

ii. श्री रविन्द्रन मेनन (16.05.2024 से 15.05.2027 तक)

iii. श्री विजय दुबे (09.07.2024 से 08.07.2027 तक)

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों में से एक, श्रीमती नीना नागपाल का कार्यकाल 23.12.2026 को समाप्त हो रहा है। इसलिए, बैंक को एक शेयरधारक निदेशक का रिक्त पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

तदनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। (शेयरधारक निदेशक)

अत: शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के पात्र हैं।

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव, बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल द्वारा उन्हें 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने पर तथा तत्पश्चात् असाधारण आम बैठक में चुनाव के बाद होगा। इस प्रकार चयनित निदेशक 24 दिसंबर, 2026 के बाद से अपना कार्य संभालेंगे और अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान:

ए. विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/ विनियम/ योजना/ अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	➢ महत्वपूर्ण लाभ ➢ सामान्य निदेशकों का निषेध ➢ बैंक के किसी भी निदेशक को अथवा उनकी ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 1:

Election of ONE Shareholder Director of the Bank

Pursuant to section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. Smt. Nina Nagpal (w.e.f. 24.12.2023 to 23.12.2026)

ii. Shri Ravindran Menon (w.e.f 16.05.2024 to 15.05.2027)

iii. Shri Vijay Dube (w.e.f 09.07.2024 to 08.07.2027)

The term of ONE of the elected Shareholder Director i.e. Smt. Nina Nagpal is expiring on 23.12.2026 as aforesaid, hence the Bank is required to initiate the election process to fill the vacancy of ONE Shareholder Director.

Accordingly, to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her **'Fit & Proper'** Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from 24th December 2026 onwards and shall hold office for a period of three years.

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	➢ Substantial Interest ➢ Prohibition of Common Directors ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	➢ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9 (3) (आई)	➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) से (सी)	➢ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी)	➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है।
	धारा 9 (3बी)	➢ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार
	धारा 13(2)	➢ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4)	➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं
	खंड 11	➢ निदेशक कार्यालय को खाली करना
	खंड 11ए	➢ निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना
	खंड 11 बी	➢ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना
	खंड 12 (8)	➢ निदेशकों के हितों वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
	खंड 14ए	➢ विशेष प्रावधान- किसी समिति की शक्ति का प्रयोग, ऐसी समिति के गणपूर्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में बोर्ड द्वारा किया जाना
बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग
	विनियम 61	➢ सामान्य बैठकों में वोट देना
	विनियम 63	➢ सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 64	➢ शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	➢ Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	➢ No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C)	➢ Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) & Section 9(3AB)	➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	➢ Term of office of elected directors
	Clause 10	➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	➢ Vacation of office of Director
	Clause 11A	➢ Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
	Clause 14A	➢ Special Provision- Exercise of power of any Comittee by the Board, in case of unavailability of quorum of such Committee
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10	➢ Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	➢ Voting at General Meetings
	Regulation 63	➢ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	➢ List of Shareholders
	Regulation 65	➢ Nomination of candidates for election

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ नामांकनों की जांच ➢ चुनाव विवाद ➢ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➢ प्रॉक्सी
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रशासन) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर 2025	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए्ए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के संबधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, योजना, शेयर और बैठक संबंधी नियमों तथा आरबीआई के मास्टर निर्देशों के प्रासंगिक अंश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें उपयोगकर्ता देख या डाउनलोड कर सकते हैं। नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि, यानी **शनिवार, 05 दिसंबर 2026 को शाम 04:00 बजे तक** या उससे पहले, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कंपनी सचिव को ''companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in'' पर अनुरोध भेजने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसे सारांश ईमेल भी कर दिए जाएंगे।

बी. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026 को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भागीदारी अर्थात् नामित करने, चुनाव प्रत्याशी बनने एवं वोट देने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में उपस्थित रह सकते हैं।

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
Reserve Bank of India (Commercial Banks- Governance) Directions, 2025 dated 28th November 2025	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, the banking regulation act, the scheme, shares and meeting regulations, RBI master directions will be hosted in the Bank's website www.bankofbaroda.bank.in which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **by 04.00 p.m of Saturday, 05th December 2026.**

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 20th November 2026** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

सी. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को:

   ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए-

   i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
   ii. बैंकिंग
   iii. सहकारिता
   iv. अर्थशास्त्र
   v. वित्त
   vi. विधि
   vii. लघु उद्योग
   viii. सूचना प्रोद्यौगिकी
   ix. भुगतान एवं निपटान सिस्टम
   x. मानव संसाधन
   xi. जोखिम प्रबंधन
   xii. व्यवसाय प्रबंधन एवं
   xiii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो

   बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

   सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा 9(3एए) के तहत, उम्मीदवार के रूप में बैंक का शेयरधारक जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, के पास ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किए गए ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त और समुचित' स्थिति होना चाहिए।

3. अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, ''उपयुक्त एवं समुचित'' हैसियत का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं, को ध्यान में रखें।

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

   a) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

      i. Agriculture and rural economy
      ii. Banking
      iii. Co-operation
      iv. Economics
      v. Finance
      vi. Law
      vii. Small scale industry
      viii. Information Technology
      ix. Payment & Settlement Systems
      x. Human Resources
      xi. Risk Management
      xii. Business Management and
      xiii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

   b) represents the interest of depositors; or

   c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess **'Fit and Proper'** status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

3. In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

4. इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

डी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

ए) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा

बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा

डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है। इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है।

(बी) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- शासन) निदेश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 और उनमें हुए किसी अनुवर्ती आशोधनों के अनुसार 'उपयुक्त और समुचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

ई. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुन:चुनाव के लिए पात्र होगा। बशर्ते, ऐसा कोई भी निदेशक अपने पद पर लगातार छ: वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पदस्थ न हो।

4. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks- Governance) Directions, 2025 dated 28th November, 2025 and subsequent amendments thereto, if any.

E. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

एफ. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए के संदर्भ में विशेष प्रावधान

योजना के खंड 14ए के अनुसार, जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को विधि द्वारा कोई कार्रवाई या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों की अनुशंसा या निर्धारण या शिकायतों का समाधान अपेक्षित होता है और यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने के कारण पूरी नहीं की जा सकती है, तो बोर्ड वह कार्रवाई या कार्य कर सकता है।

जी. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3ए्ए) एवं 3(एबी) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- शासन) निदेश, 2025 जारी किया है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले ''उपयुक्त एवं समुचित'' मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

''**उपयुक्त एवं समुचित**'' स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं: (पैरा 23 से 28, आरबीआई के अनुदेशोंनुसार)

ए) प्राधिकार:

बैंक द्वारा एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति [इसके बाद से समिति के रूप में संदर्भित] का गठन करना आवश्यक है जिसमें केवल गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक इस समिति के सदस्य नहीं होंगे। समिति की सरंचना तीन सदस्यों की होगी, जिसके अंतर्गत बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों में से न्यूनतम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए तथा इसमें निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए, ताकि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया की जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी और निदेशक मंडल के अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

F. Special Provision in terms of Clause 14A of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Pursuant to the Clause 14A of the Scheme, where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

G. RBI's Master Directions

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) & (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks- Governance) Directions, 2025 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the **"Fit and Proper"** status etc., are as under (Para 23 to 28 to RBI directions)

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of only Non Executive Directors. The GOI Nominee Director and the RBI Nominee Director shall not be part of this Committee. The quorum of the Committee shall be three members, out of which atleast one-half of the members attending the meeting shall be Independent Directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under section 9(3)(i) of the Act. Further, the meetings of the Committee shall be chaired by an independent director and the Chair of the Board shall not chair the Committee.

बी) पद्धति एवं प्रक्रिया:

बैंकों को चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करना चाहिए। नामांकन स्वीकार करने की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद समिति की बैठक होनी चाहिए जिसमें हस्ताक्षरित घोषणाओं में दी गई जानकारी की जांच की जाए ताकि 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंडों के आधार पर संबंधित व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जाए या नहीं, इस बात का निर्धारण किया जा सके। एनआरसी की चर्चा को उचित रूप से बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान होता है, तो उसके विवरण भी दर्ज किए जाएंगे। आवश्यक समझे जाने पर, एनआरसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है, संबंधित प्राधिकारी या व्यक्तियों को भी मामला संदर्भित करेगा।

सी) मानदंड

नामांकन और पारिश्रमिक समिति प्रस्तावित उम्मीदवारों की **'उपयुक्त और समुचित'** स्थिति नीचे दिए गए व्यापक मानदंडों के आधार पर निर्धारित करेगी:

(i) **आयु** - निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु उम्मीदवार की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता** - उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए।

(iii) **अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र** - उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्:

(ए) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
(बी) बैंकिंग,
(सी) सहकारिता,
(डी) अर्थशास्त्र,
(ई) वित्त,
(एफ) विधि,
(जी) लघु उद्योग,
(एच) सूचना प्रौद्योगिकी,
(आई) भुगतान और निपटान प्रणाली,
(जे) मानव संसाधन
(के) जोखिम प्रबंधन,

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and examine the information provided in the signed declarations to determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the 'Fit and Proper' Criteria. The NRC's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done shall also be noted. The NRC shall also make references, where considered necessary, to the appropriate authority or persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee shall determine the **'fit and proper'** status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

(i) **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.

(iii) **Experience and field of expertise** – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following areas namely:

(a) *Agriculture and Rural Economy,*
(b) *Banking,*
(c) *Co-operation,*
(d) *Economics,*
(e) *Finance,*
(f) *Law,*
(g) *Small scale Industry,*
(h) *Information Technology,*
(i) *Payment & Settlement Systems,*
(j) *Human Resources,*
(k) *Risk Management,*

(एल) व्यवसाय प्रबंधन, और

(एम) कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव आरबीआई की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(iv) **अयोग्यता:** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में उल्लिखित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अलावा, कोई भी उम्मीदवार:

ए) किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक (जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, प्रतिनिधि नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है) की होल्डिंग एनओएफएचसी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, साहूकारी, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तथापि इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण न रखने वाले ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

सी) पूर्व में किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के तहत छह वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया होना चाहिए।

डी) स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में संलिप्त नहीं होना चाहिए।

ई) संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद् आदि के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।

एफ) ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो।

जी) ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

(l) *Business Management, and*

(m) *Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of RBI, be useful to the Bank.*

(iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80, a candidate shall not:

a) be a member of the Board of any bank or RBI or a Financial Institution (FI) or an insurance Company or a NOFHC holding any other bank (which includes a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a cooperative bank and a regional rural bank);

b) be a person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities. However, investors of such entities shall not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them;

c) have served as director in the past on the Board of any bank, FI, RBI, or insurance company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

d) be engaging in the business of stock broking.

e) be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc)

f) be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any other PSB;

g) be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently

के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो जिसमें चुनाव के लिए नामांकन भरा गया हो।

(v) **अवधि** - निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते कोई निदेशक लगातार या अलग-अलग समय पर 6 वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 9(4) के तहत निर्धारित है।

(vi) **व्यावसायिक प्रतिबंध - कोई भी उम्मीदवार**

(ए) संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ न ही व्यावसायिक रूप (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) से संबंधित होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाए।

(बी) बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के साथ पेशेवर रूप से संबंधित नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के समय यदि किसी उम्मीदवार का बैंक से ऐसा कोई संबंध है, तो एनआरसी को यह घोषणा देने पर कि यदि वह निदेशक चुना जाता है, तो वह बैंक से यह संबंध समाप्त कर देगा, उसे उप-अनुच्छेद (b) की आवश्यकता पूरी करने वाला माना जाएगा; और चुने जाने पर, उम्मीदवार को पीएसबी का निदेशक नियुक्त होने से पहले ऐसा संबंध समाप्त करना होगा।

(vii) **ट्रैक रिकॉर्ड तथा सत्यनिष्ठा** - उम्मीदवार को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और उसे किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

नए निदेशक (नियुक्ति या पुन:नियुक्ति) हेतु चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की बारीकी से जांच करते समय, नामांकन और पारिश्रमिक समिति उपर्युक्त मानदंडों को अपनाएगी।

engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the PSB in which nomination for election is filed.

(v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently, as provided under clause 9(4) of nationalised bank (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980.

(vi) **Professional Restrictions – a candidate shall**

(a) Neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned PSB nor be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that PSB.

(b) not have any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under subparagraph (b), upon submission of a declaration to the NRC that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, the candidate shall sever such relationship before appointment as a director of the PSB.

(vii) **Track record and integrity** - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The Nomination and Remuneration Committee shall adopt the criteria as stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new Director (appointment/re-appointment)

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:

ए) संबंधित व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व, अनुलग्नक के रूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित किया जाने वाला प्रसंविदा विलेख;

बी) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बशर्ते कि पूर्व में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, बैंक ऐसे निदेशक से उन परिवर्तनों को समाहित करते हुए एक नया घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा।

सी) व्यावसायिक इकाइयों में उनके हितों और निदेशक पदों का पूरा और सही विवरण, और

डी) यदि चुना गया निदेशक सनदी लेखाकार (सीए) है (जिसे आगे 'सनदी लेखाकार निदेशक' कहा जाएगा), तो उसके या उसकी फर्म के ग्राहकों की सूची।

बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा -

ए) कि कोई निर्वाचित निदेशक, पीएसबी के ऋण या निवेश संबंधी उन निर्णयों से दूरी बना ले और उनमें भाग न ले, जिनमें उसका स्वयं का हित जुड़ा हो;

बी) सीए निदेशक के लिए सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करना ताकि वे अपने या अपनी फर्म के ग्राहकों से जुड़े पीएसबी के ऋण या निवेश संबंधी निर्णयों में शामिल न हों। सीए निदेशक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इस संपूर्ण प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रहें और इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर करें; तथा

सी) बैंक के एक पूर्व निर्वाचित निदेशक को पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि तक कोई व्यावसायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा।

जहां निर्वाचित निदेशक:

(ए) निम्नलिखित में विफल रहते हैं

(i) प्रसंविदा या घोषणा पत्र का डीड प्रस्तुत करने में; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या

(iii) जिसमें उनका हित है ऐसे क्रेडिट / निवेश निर्णयों में सहभागिता करने से बचने में

(बी) अधूरा या गलत प्रकटीकरण करता है, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त और समुचित नहीं' बनाते हैं।

ऐसे निदेशक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा तथा वह इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

The banks shall obtain from an elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format enclosed as annexure, before such person assumes office;

(b) a declaration as on March 31st every year to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

Provided that, where there is change in the information provide earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration incorporating the changes

(c) a full and proper disclosure of their interests and directorships in business entities and

(d) in case the elected director is a CA (hereinafter referred as 'CA director') the list of their or their firm's clients.

The banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition ensure

a) that an elected director distances themselves from and does not participate in the PSB's credit or investment decisions involving entities in which they are interested;

b) to put in place a system of safeguards for a CA director so that they do not participate in PSB's credit or investment decisions involving their / firm's clients'. The CA director shall be required to compulsorily dissociate themselves from the entire process and sign a covenant to this effect; and

c) that no professional work is allotted to a person who was an elected director of the Bank for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 में **सोमवार, 30 नवंबर, 2026 से सोमवार, 21 दिसंबर, 2026 तक** सभी कार्य दिवसों (दूसरे एवं चौथे शनिवार, रविवार, बैंक अवकाश के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर **2:00 बजे से सायं 4:00** बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ताकि उम्मीदवार शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/ अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1,000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु रु. 5/- की दर से राशि का भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

आई. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998, यथासंशोधित, के विनियम 64 में दिया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में, **सोमवार, 30 नवंबर, 2026** से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर या सीधे जमा करने के माध्यम से भुगतान करने पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक उम्मीदवार को उक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र **मुख्य परिचालन अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को इस वचन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि इस सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

जे. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

ए) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह चुनाव में प्रतिभागिता हेतु **विनिर्दिष्ट / अंतिम तारीख शुक्रवार, 20**

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Bank of Baroda, KYC AML Dept., 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 on all working days from **Monday, 30th November 2026 to Monday, 21st December 2026** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **Monday, 30th November 2026** for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank or direct credit in favor of "Bank of Baroda". The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief Operating Officer, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 20th November 2026** being the

नवंबर, 2026 को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि निर्वाचित किया जाता है तो उसके कार्यकाल के बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए।

बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **मुख्य परिचालन अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा-390007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को संबोधित करते हुए प्रधान कार्यालय/कार्पोरेट कार्यालय भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

सी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में लड़ने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को भी विधिवत हस्ताक्षरित करते हुए पुष्टि करेगा कि यह विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और साथ ही यह भी वचन पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा।

डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् **शनिवार, 05 दिसंबर, 2026** तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949

Specified/Cut-Off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / Corporate Office of the Bank addressed to the **Chief Operating Officer, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on **Saturday, 05th December 2026** , being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation

या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के अंतर्गत अयोग्य न हो और उसके बाद वह भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार निदेशक मण्डल की नांमाकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं समुचित' पाया गया हो।

ई) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ **संलग्न प्रारूप में** दिए गए है। (यह प्रोफ़ार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर भी उपलब्ध हैं।)

के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर **'बैंक ऑफ़ बड़ौदा निदेशक का चयन-दिसंबर 2026'** लिखा हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से **मुख्य परिचालन अधिकारी** को संबोधित करते हुए **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् **शनिवार, 05 दिसंबर, 2026 को सायं 4:00 बजे** तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।

ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र

बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म

सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण-पत्र **अर्थात् स्व-प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो।**

डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI Master Direction

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.bank.in)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Director – December 2026"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief Operating Officer, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before **4.00 p.m., on Saturday 05th December 2026:**

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.**,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् सोमवार, 07 दिसंबर, 2026 को बैंक द्वारा नामांकनों के स्वीकार्य नियमों एवं विनियमों के तहत की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों और निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा जांच किए जाने के अधीन होंगे।

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/ निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ निदेशक मंडल द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

डी) यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले एक रिक्त पद के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो इस प्रकार नामांकित एवं 'उपयुक्त एवं योग्य' पाया गया उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित माना जाएगा तथा निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, एक शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन से संबंधित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना की कार्यसूची की मद संख्या 1 वापस ली हुई मानी जाएगी। इस प्रकार निर्वाचित माना गया उम्मीदवार दिनांक 24.12.2026 से पदभार ग्रहण करेगा।

ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा एवं चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग को मिलाकर, उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम बैठक में घोषित किया जाएगा तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

एम. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **मंगलवार, 15 दिसंबर, 2026 को, शाम 4.00 बजे तक या उससे पूर्व** किसी भी समय, **मुख्य परिचालन अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या cgm.operations.ho@bankofbaroda.bank.in अथवा companysecretary.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on **Monday**, **07th December 2026**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found fit & proper, shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In that case, the agenda item no 1 of EGM notice pertaining to election of one shareholder Director stands withdrawn. The candidate deemed elected will assume office from 24.12.2026.

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time i.e. **on or before 4.00 p.m. on Tuesday 15th December 2026** by sending a signed letter addressed to **Chief Operating Officer, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre,**

bcc@bankofbaroda.bank.in पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

एन. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा।

ओ. उद्धरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर प्रदर्शित किए गए हैं। जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव को companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in पर लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पी. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक उनकी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किया है, उन्हें उपर्युक्त मदों के विषयों में या हितबद्ध समझा जाएगा।

मद संख्या 2:

श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक की पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन करना

श्री लाल सिंह को दिनांक 09 अक्तूबर, 2023 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने दिनांक 23 सितंबर, 2026 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री लाल सिंह का कार्यकाल, जो दिनांक 08 अक्तूबर, 2026 को समाप्त हो गया था, उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 31.01.2027 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री लाल सिंह की पुनर्नियुक्ति हेतु इस असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

संक्षिप्त परिचय

श्री लाल सिंह ने दिनांक 09 अक्तूबर, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आप मानव संसाधन, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिक्षण एवं विकास, एमएसएमई, सह-लेंडिंग, आपूर्ति

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051 or sending scanned and signed letter over e-mail at cgm.operations.ho@bankofbaroda.bank.in; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.bank.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

Item Number 2:

To approve the reappointment of Shri Lal Singh, Executive Director

Shri Lal Singh was appointed as Executive Director w. e. f 9th October 2023. Government of India vide its notification dated 23rd September 2026, has extended the term of office of Shri Lal Singh beyond his notified term which had ended on 8th October 2026 till the date of his superannuation, i.e. 31.01.2027 or until further orders, whichever is earlier

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in this EGM for reappointment of Shri Lal Singh as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile

Shri Lal Singh joined Bank of Baroda as an Executive Director on 9th October, 2023 and monitors the functions

श्रृंखला वित्तपोषण, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, विधि, विपणन, जनसंपर्क एवं कॉर्पोरेट संचार जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं।

एक अनुभवी बैंकर के रूप में आपके पास बैंकिंग परिचालन के क्षेत्र में लगभग 36 वर्षों का गहन एवं विशिष्ट कार्यानुभव है।

अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत आपने वर्ष 1990 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में की। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में अंचल प्रमुख के रूप में आपने वाराणसी, लखनऊ और चेन्नई जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण अंचलों के साथ-साथ मुंबई पश्चिम और उदयपुर (राजस्थान) जैसे क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। श्री सिंह को महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का विविध अनुभव प्राप्त है। आपने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय प्रमुख एवं शाखा प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि सुनिश्चित की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के उपरांत, आपने बैंक के एमएसएमई, ग्रामीण एवं कृषि व्यवसाय क्षेत्र में व्यावसायिक रूपांतरण का नेतृत्व किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने अंतिम कार्यदायित्व के दौरान, श्री लाल सिंह बैंक के नीतिपरक मानव संसाधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे तथा आपने बैंक के प्रमुख प्रोजेक्ट यूनियन प्रेरणा का नेतृत्व किया। इस परियोजना के माध्यम से 75,000+ बैंक कर्मचारियों के बीच एक नई कार्य-निष्पादन संस्कृति स्थापित की गई, उत्तरदायित्व नियोजन को सुदृढ़ किया गया तथा प्रतिभा जुड़ाव में सुधार किया गया। आपके नेतृत्व में, मानव संसाधन संबंधी पहलों को प्रमुख वैश्विक संगठनों से 12 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए और डिजिटल एवं डेटा सक्षमता के लिए आईएसओ प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। आपने कर्मचारियों में बाज़ार की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल के निर्माण हेतु शिक्षण के क्षेत्र में एक समृद्ध इको सिस्टम सृजित करते हुए उन्नत शिक्षण एवं विकास इकाई की भी स्थापना की।

श्री लाल सिंह ने निदेशक मंडल एवं नेतृत्व स्तर पर अनेक पदों पर कार्य किया है। आप केन्या एवं तंजानिया में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। आप पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) तथा बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज में नामित निदेशक भी हैं। यूनियन बैंक में कार्यरत रहते हुए, आप क्रेडिट-जमा अनुपात तथा पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने (BGREI) के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप-समिति के अध्यक्ष थे। आप मेसर्स नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (नाबार्ड की सहायक कंपनी), पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड तथा इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड (सिडबी) के पर्यवेक्षी बोर्ड में नामित निदेशक भी रहे हैं।

श्री लाल सिंह कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर, भारतीय बैंकर संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं और ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीआईटीआईआरएम), एएमएफआई और सीईबीए के डिप्लोमा धारक हैं। आपने माइक्रो फाइनेंस में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यूवीए डार्डन स्कूल ऑफ़ बिजनेस - वर्जीनिया, यूएसए

of various portfolios such as Human Resources, Disciplinary Proceedings, Learning & Development, MSME, Co-Lending, Supply Chain Finance, Rural and Agri Banking, Financial Inclusion, CSR, Stress Asset Management, Legal, Marketing, PR and Corporate Communications.

As a career banker, he has around 36 years of deep and distinguished experience in Banking Operations.

He started his career as a Rural Development Officer in Union Bank of India in 1990. As Zonal Head in Union Bank of India, he has successfully spearheaded large and prestigious zones such as Varanasi, Lucknow, Chennai as well as Regions such as Mumbai West and Udaipur (Rajasthan). Shri Singh has diverse experience across Metro Urban Semi-Urban Rural (MUSR) locations and has led exponential growth as Regional Head and Branch Head across Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. Post amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India, he led the business transformation of the Bank's MSME, Rural and Agri Business. In Shri Singh's last assignment in Union Bank of India, he was the Chief General Manager for the Bank's strategic HR function and led the Bank's flagship project, Union Prerna, establishing a new performance culture, succession planning and improving talent engagement with the 75,000+ employees of the Bank. Under his leadership, the HR function has won 12+ awards from leading global organisations, and an ISO certification for digital and data enablement. He has also anchored the setup of an advanced L&D unit, through the creation of a rich learning ecosystem to build market-ready skills in employees.

Shri Lal Singh has served multiple board and leadership level positions. He is Director in the Board of Bank of Baroda's Overseas territories in Kenya and Tanzania. He is also the Nominee Director in PSB Alliance Pvt Ltd, NeSL and Baroda Global Shared Services. While in Union Bank, he was the Chairman of the Sub Committee of the State Level Bankers' Committee, Uttar Pradesh for Credit Deposit Ratio and Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI). He was a nominee director on the board of M/s. Nab Samruddhi Finance Ltd (subsidiary of NABARD), PSB Alliance Pvt. Ltd., Supervisory Board of India Micro Finance Equity Fund (SIDBI).

Shri Lal Singh is a Post Graduate in Agricultural Sciences, Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and has completed a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DITIRM), AMFI & CeBA. He has a Certification in Micro Finance, and has attended the Global

और आईएसबी, हैदराबाद में ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप प्रोग्राम में प्रतिभागिता की है। आप बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब एफएसआईबी) द्वारा नेतृत्व विकास कार्यक्रम हेतु चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के पहले बैच का हिस्सा रहे हैं। यह कार्यक्रम आईआईएम बेंगलुरु द्वारा आयोजित किया गया था। आपने एगॉन ज़ेहंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है।

श्री सिंह अपने कार्मिक विकास, टीम निर्माण एवं अभिप्रेरणा तथा ग्राहक सहभागिता संबंधी कौशलों के लिए जाने जाते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. श्री लाल सिंह को बैंकिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं दक्षता प्राप्त है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य।

डी. पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक पद से श्री लाल सिंह ने त्यागपत्र दिया है, उनके नाम: शून्य।

ई. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता: 245 शेयर।

श्री लाल सिंह के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होंगी। श्री लाल सिंह को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का इस संकल्प में किसी भी प्रकार का हित या सरोकार नहीं है।

आपके निदेशक इस संकल्प की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 3:

श्री हरि हर मिश्रा की बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना।

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 23 अक्तूबर, 2026 के माध्यम से श्री हरि हर मिश्रा को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गैर- कार्यकारी निदेशक के रूप में दिनांक 23 अक्तूबर, 2026 से तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाए। तदनुसार, बैंक की इस असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में श्री हरि हर मिश्रा की बैंक के गैर- कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

संक्षिप्त परिचय

54 वर्षीय श्री हरि हर मिश्रा भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आई. डी. ए. एस) के 1997 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

Strategy & Leadership Program at UVA Darden School of Business - Virginia USA & ISB, Hyderabad. He was part of the 1st batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Program organised by IIM Bangalore and also participated in the Directors Development Program organised by Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Shri Singh is known for his people development, team building and motivation, and customer engagement skills.

Other details in terms of Regulations 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. Shri Lal Singh possesses expertise and competence in the area of Banking

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri Lal Singh has ceased to be Director in the past three years: Nil

e. Shareholding of Bank of Baroda: 245 Shares

The remunerations, other terms and conditions of appointment of Shri Lal Singh are guided by the extent guidelines issued by Government of India except Shri Lal Singh none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in anyway interested or concerned in the resolution.

Your Directors recommend the Resolution

Item Number 3:

To approve appointment of Shri Hari Har Mishra as Non-Executive Director of the Bank

The Government of India vide its notification dated 23rd October 2026 has appointed Shri Hari Har Mishra as a Non Executive Director, Bank of Baroda w.e.f 23rd October 2026 with immediate effect and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in this EGM for appointment of Shri Hari Har Mishra as the Non Executive Director of the Bank.

Brief Profile

Shri Hari Har Mishra, aged 54 years, is an officer of the Indian Defence Accounts Service (IDAS) of 1997 batch and is presently serving as Additional Secretary in the Department of Financial Services.

श्री हरि हर मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पुरातत्व में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद से एमबीए (वित्त) किया है।

अपने विशिष्ट कार्यकाल के दौरान, आपने आई. एफ. ए., मुख्यालय प्रशिक्षण कमांड (वायु सेना), संयुक्त सी. जी. डी. ए. (एच. आर. डी.), संयुक्त सी. जी. डी. ए. (ऑफसेट ऑडिट), रक्षा लेखा विभाग के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय में निदेशक और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय में अतिरिक्त मिशन निदेशक जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य-दायित्वों का निर्वहन किया है।

आपके पास भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों - जिनमें रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय शामिल हैं, में वित्तीय प्रबंधन, लेखापरीक्षा, सतर्कता, नीति निर्माण, व्यय प्रबंधन, मानव संसाधन विकास और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में 28 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है।

आपको कई प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें समग्र प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रशंसा एवं अन्य शामिल हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. श्री हरि हर मिश्रा को वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं दक्षता प्राप्त है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

डी. पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक पद से श्री हरि हर मिश्रा ने त्यागपत्र दिया है, उनके नाम: यूको बैंक।

ई. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता: शून्य।

श्री हरि हर मिश्रा को कोई पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति देय नहीं है। बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का इस संकल्प में किसी भी प्रकार का हित या सरोकार नहीं है।

आपके निदेशक इस संकल्प की अनुशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद

(डॉ. देबदत्त चांद)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.11.2026

Shri Hari Har Mishra is a Post Graduate in Archaeology from Allahabad University and holds an MBA (Finance) from the National Institute of Financial Management, Faridabad.

During his distinguished career, he has held several key assignments such as IFA, HQ Training Command (Air Force), Joint CGDA (HRD), Joint CGDA (Offset Audit), Chief Vigilance Officer for Defence Accounts Department, Director in Ministry of Environment & Forests and Additional Mission Director in Ministry of Ganga Rejuvenation.

He possesses over 28 years of rich and diverse experience in financial management, audit, vigilance, policy formulation, expenditure management, human resource development and public administration across various Ministries and Departments of the Government of India, including the Ministry of Defence, Ministry of Environment & Forests and Ministry of Ganga Rejuvenation.

He has been the recipient of several commendations and awards, including Raksha Mantri Award for overall performance and Chief of Army Staff Commendation and others.

Other details in terms of Regulations 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. Shri Hari Har Mishra possesses expertise and competence in the area of Finance
b. There is no inter-se relationship between Directors
c. Directorship in other listed entities: The New India Assurance Company Limited
d. Names of listed entity in which Shri Hari Har Mishra has ceased to be Director in the past three years: UCO Bank
e. Shareholding of Bank of Baroda: Nil

No Remuneration/Compensation is payable to Shri Hari Har Mishra. None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in anyway interested or concerned in the resolution.

Your Directors recommend the Resolution

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 06.11.2026

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

क्र.सं.	

नामांकन फार्म

प्रति,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक _____ 2026 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री ..... बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को प्रत्येक रु. 2/- के ..... इक्वटी शेयरों का धारक, एतद्द्वारा श्री/सुश्री ..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ....निवासी .... को **सोमवार, दिनांक 21 दिसंबर, 2026** को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं।

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

ए) यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

बी) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।

सी) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Sr.No.	

NOMINATION FORM

To

Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your EGM Notice dated _____ 2026, I, ... a Shareholder of Bank of Baroda holding ..... equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on **Friday, 20th November 2026** i.e. the Specified/Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. .... son / daughter / wife of .....residing at .... for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Monday, 21st December 2026**.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती ..... सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती .....
निवासी.....
..... एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :-

ए) मैं **20 नवंबर, 2026, शुक्रवार** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के रु. 2/- प्रति शेयर वाले ..... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और घोषणा करता/ करती हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता/ जाती हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रखूंगा/रखूंगी।

बी) मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग (viii) सूचना प्रौद्योगिकी, (ix) भुगतान और निपटान प्रणाली, (x) मानव संसाधन, (xi) जोखिम प्रबंधन, (xii) व्यवसाय प्रबंधन और (xiii) कोई अन्य विषय आदि जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो और मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार, जमाकर्ताओं/ किसानों, कामगारों/ दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/ करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं, और

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

सी) मैं नामाकंन क्रमांक .....से.....स्वीकार करता हूं/ करती हूं;

डी) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/ चाहती हूं

ई) मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 यथा संशोधित के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित मास्टर निदेश तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं और

एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; तथा

जी) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/ की कर्मचारी हूं।

साथ ही मैं घोषणा करता/ करती हूं:

एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैनें कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है; तथा

आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा

जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा/ करूंगी तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता/ देती हूं।

एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफ़एचसी धारक किसी अन्य बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूं।

एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लीजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नहीं हूं;

एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-2 समय पर -6- वर्षों के लिए निदेशक नहीं रहा/ रही हूं.

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूँ।

पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के पद पर कार्यरत नहीं हूं।

क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं।

आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है।

एस) मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफ़एचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन लेता/ लेती हूं।

यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूं।

वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 28.11.2025 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं;

डबल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं; तथा

एक्स) मैं, सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करुंगा/ करूंगी।

वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं।

जेड) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा/ रही हूं:

कंपनी/बैंक का नाम	**निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि**

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

एए. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

नोट: उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/ संशोधित कर सकते हैं

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है।

हस्ताक्षर .....

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/ अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

DECLARTIONS

I,……son/daughter/wife of……. Shri/ Smt……..resident of…… …… …… hereby confirm that

a. I am a Shareholder holding …… equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on Friday, **20th November 2026**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry (viii) Information Technology, (ix) Payment & Settlement Systems, (x) Human Resources, (xi) Risk Management, (xii) Business Management, and (xiii) any other matter the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors/farmers, workers/artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

c. I accept the nominations numbering …… to……

d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended and Master Directions issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013;

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I will professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;

n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

o. I am not engaging in the business of stock broking.

p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.

t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 28.11.2025) before assuming office as a director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	**Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.**

(add additional rows / sheets if necessary)

aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

_____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र
(उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

दिनांक:...../...../.....

क्रम. सं.		विवरण	प्रकटित जानकारी
I		**व्यक्तिगत विवरण**	
	1.	पूरा नाम	प्रथम नाम / मध्य नाम / अंतिम नाम
	2.	पिता का नाम	
	3.	लिंग (पुरूष/ महिला/ अन्य)	एससी/एसटी/ओबीसी
	4.	वर्तमान पता	
	5.	स्थायी पता	
	6.	ई-मेल का पता एवं वैकल्पिक ई-मेल का पता: एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या: मोबाइल संख्या:	
	7.	राष्ट्रीयता	
	8.	जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन
	9.	शैक्षणिक योग्यताएं	
	10.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
	11.	आधार संख्या (वैकल्पिक)	
	12.	(ए) स्थायी खाता संख्या(पैन) (बी) आयकर सर्कल/ वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक द्वारा कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) फाइल किया जाता है: (सी) पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई रिटर्न और करों के भुगतान का विवरण	फाइल करने की तारीख / भुगतान की गई कर की राशि (भारतीय रुपये में)

	13.	एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान या अनुभव का संक्षिप्त विवरण दें जैसे लेखा शास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग; या सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन से जुड़े क्षेत्र; या कोई दूसरा ऐसा विषय, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।	
	14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण)	
	15.	जहां कार्य किया है उस संगठन(नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, कार्यमुक्त होने की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि के साथ विगत न्यूनतम दस वर्षों को शामिल करते हुए पिछले व्यवसाय का विवरण	
	16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें: (ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या: (बी) आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तारीख: (सी) पंजीकृत फर्म/फ़र्मों का नाम और पता: (डी) फर्म/फ़र्मों द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण / परीक्षणों के विवरण:	
	17.	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर(रों) का नाम जहां आप प्राथमिक खाता धारक है:	<table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>खाते का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
	18.	शेयरधारिता, यदि किसी कंपनी में आपके, पति-पत्नी तथा आपके अवयस्क बच्चे द्वारा भौतिक या डीमैट रूप में धारित की हो, तो उसका विवरण (डीमैट/ शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
	19.	कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो	
II	**प्रस्तावित निदेशक से संबंधित संबंध**		
	1.	बैंक से जुड़े संबंधियों [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें] की सूची, यदि कोई हो:	

	2.	संस्थाओं की सूची, जिनमें ए) हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) [बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्म / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए] बी) ऐसी संस्थाएं जिनमें आप लाभकारी स्वामित्व रखते हों [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें] सी) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में आपने पद ग्रहण किया गया हो (न्यास के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):	
	3.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थानों की सूची, जिनमें आप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखते हैं। *''पर्याप्त हित'' (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित धारिता से है, जिस पर अदा की गई रकम रु. दो करोड़ से अधिक हो अथवा कोई अन्य राशि, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए अथवा कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो; (ii) एक फ़र्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हितधारिता से है, जो उक्त फ़र्मों के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;*	*कंपनी/ फर्म का नाम* *निगमन का देश* *शेयरों की संख्या* *प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य* *धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य* *कुल चुकता पूंजी (पीयूसी) की % के रूप में शेयर धारिता* *लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)* *क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है*
	4.	विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता का विवरण।	
	5.	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें आप वर्तमान में या पूर्व में निदेशक मंडल के सदस्य/ सलाहकार हैं अथवा रहे हैं (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/किया गया था)	
	6.	यदि किसी ऐसी इकाई से संबद्ध हैं जो किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न है (संबंध के प्रक्रार का उल्लेख करें), तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	7.	यदि स्टॉक ब्रोकर है या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी इकाई से संबद्ध है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	

	8.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाएं, यदि कोई हो, वैयक्तिक रूप से और/अथवा उपर्युक्त बिंदु II (2) से (7) में सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा जिनका वर्तमान में उपयोग किया हो।	
	9.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वैयक्तिक रूप से, आपने, अथवा उपर्युक्त बिंदु II (2) से (7) में सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं में चूक की हो अथवा पूर्व में इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया हो।	
III	**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड**		
	1.	निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV	**प्रस्तावित निदेशक के विरूद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो**		
	1.	ए) एक व्यावसायिक संस्था/ निकाय के सदस्य के रूप में अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण, यदि कोई हो, जो विचाराधीन हो अथवा जिस पर कार्रवाई शुरू की गई हो अथवा जिसमें पूर्व में दोषसिद्धि हुई हो अथवा जिसमें कभी किसी व्यवसाय/ कार्य को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो।	
		बी) यदि वैयक्तिक व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	2.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, जो स्वयं के और /अथवा उपर्युक्त II (2) से (7) में सूचीबद्ध इकाइयों के विरूद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए लंबित हो अथवा शुरू की गई हो अथवा जिसमें दोषसिद्धि हुई हो।	
	3.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि लंबित हो अथवा शुरू किया गया हो अथवा जिसमें दोषसिद्धि हुई हो।	
	4.	यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन किया गया हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	5.	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है।	
	6.	यदि दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा भुगतान रोक दिया हो अथवा लेनदारों के साथ कोई समझौता किया हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	7.	यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ पाए गए हों और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	8.	(ए) यदि आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक पतन अथवा अन्य कोई बात शामिल हो, तो उसका विवरण प्रदान करें। (बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।	

	9.	यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक के अधीन, पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, लाभ का पद धारण करते हैं, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	10.	यदि एक व्यक्ति या उपर्युक्त बिंदु II (2) से (7) में उल्लिखित किसी इकाई को पिछले नियोक्ताओं अथवा सरकारी विभागों अथवा एजेंसियों द्वारा किसी जांच/ सतर्कता/ पूछताछ के अध्यधीन रखा गया है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	11.	यदि कस्टम/ एक्साइज/ आयकर/ विदेशी विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/ विनियमों/ विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
	12.	यदि व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामक, व्यावसायिक निकाय, सरकारी एजेंसी या अदालत द्वारा भर्त्सना, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, निष्कासित या दंडित किया गया हो, तो उसका विवरण प्रदान करें। (हालांकि उम्मीदवार द्वारा ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं, जो बाद में समग्र रूप से निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए हो, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो अधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किए गए हों। यदि आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/ न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
V	**सामान्य जानकारी**		
	1.	यदि सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसा व्यवसाय हो तथा किसी बैंक में वर्तमान में कोई कार्य कर रहे हो/ पूर्व में कोई कार्य किया हो, तो बैंक का नाम तथा बैंक से जुड़े रहने की समय-अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
	2.	यदि वर्तमान में सांसद/विधायक/एमएलसी हैं अथवा नगर निगम, नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय निकायों में किसी राजनीतिक पद पर हैं, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI	**स्पष्टता और पारदर्शिता के हित में, उपयुक्त एवं समुचित का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई अन्य उपयोगी जानकारी हो, तो उसका विवरण दें।**		

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/ करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है। मैं बैंक को उपर्युक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं।

मैं बैंक के साथ निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं।

स्थान:

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:

.....

.....

नोट:

जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुबंध में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें।

प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंधों सहित) पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

स्थान:		
दिनांक:		
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ निदेशक मंडल की टिप्पणी, यह सत्यापित करने के बाद कि उपर्युक्त जानकारी सही एवं पूर्ण है।		
स्थान:		**एनआरसी/ निदेशक मंडल के अध्यक्ष का नाम एवं हस्ताक्षर**
दिनांक:		

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

NAME OF BANK: BANK OF BARODA

Declaration and Undertaking by a Proposed Director

(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Date:……../……./……..

Sr. No.	Particulars		Information Disclosed
I	**Personal details**		
	1.	Name in full	First Name / Middle Name / Last Name
	2.	Father's Name	
	3.	Gender (M/F/Others)	SC/ST/OBC
	4.	Present Address	
	5.	Permanent Address	
	6.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:	
	7.	Nationality	
	8.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	- - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - - days
	9.	Educational Qualifications	
	10.	Director Identification Number (DIN)	
	11.	Aadhaar Number (optional)	
	12.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle/ Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	**Date of filing** / **Amount of tax paid (INR)**

<table>
<tr><td></td><td>13.</td><td>Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology/ Payment & Settlement Systems/ Human Resources/ Risk Management/ Business Management, or any other matter the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>14.</td><td>Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>15.</td><td>Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>16.</td><td>In case a Chartered Accountant, indicate the following:
(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
(b) Date of registration with the ICAI:
(c) Name and Address of the registered firm/s:
(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>17.</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:</td><td><table><tr><th>Name of the Bank</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>18.</td><td>Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>19.</td><td>Any other information relevant to Directorship of the Bank</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="3">Relevant Relationships of proposed director</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td>List of Relatives (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 and Rule 4 of Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014) if any, who are connected with any bank:</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>2.</td><td>List of entities, in which:

a) interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013) [Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately]

b) List of entities in which you hold beneficial ownership [Section 89 of the Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]

c) List of Trusts in which position of Trustee is held by you (also mention any other relationship with reference to a trust):</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3.</td><td>List of entities, existing and proposed, in which you are holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.

“Substantial Interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds two crore rupees or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</td><td><table>
<tr><td>Name of the company / firm</td><td></td></tr>
<tr><td>Country of incorporation</td><td></td></tr>
<tr><td>Number of shares</td><td></td></tr>
<tr><td>Face Value of each share</td><td></td></tr>
<tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr>
<tr><td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr>
<tr><td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr>
<tr><td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>4.</td><td>Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5.</td><td>Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past you are a member of the Board/Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/was held)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>6.</td><td>If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>7.</td><td>If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof</td><td></td></tr>
</table>

	8.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed at Point II (2) to (7) above.	
	9.	Cases, if any, where as an individual, you, or the entities listed at Point II (2) to (7) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a Bank/NBFC/any other lending institution.	
III	**Records of Professional Achievements**		
	1.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV	**Proceedings, if any, against the proposed director**		
	1.	a) As a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.	
		b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
	2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities listed at Point II (2) to (7) above for violation of economic laws and regulations	
	3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
	4.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
	5.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
	6.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
	7.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof	
	8.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof (b) If convicted by any Court of law, details thereof.	

	9.	If holding any office of profit under any Nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
	10.	If as an individual or any of the entities at Point II (2) to (7) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
	11.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof	
	12.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	**General Information**		
	1.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
	2.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI	**In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' provide details thereof**		

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenant required to be executed with the Bank.

Place:

Date: Signature of Candidate

Enclosures:

……

……

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Place :		
Date:		
Remarks of Nomination & Remuneration Committee/ Board of Directors having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place:		**Name and Signature of the Chair of the NRC/ Board**
Date:		